Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय माध्यस्थम् अधिकारी (जिला कलक्टर)** मुकाम **चित्तौड़गढ**

छगनलाल बनाम **सडक परिवहन वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956**

किस्म मुकदमा **राजस्व अपील (NHAI)** नं0 **006** सन् **2020**

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.05.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि आराजीयात जैरबहस के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार के वाद पत्र के संबंध में अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के सक्षम अपील/टी0ए0/270/2022 प्रस्तुत की गई हैं जो कि जैरकार होकर माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 21.01.2022 से वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में स्थगन आदेश पारित किया गया है, अतः हस्तगत प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय तक कार्यवाही स्थगित रखी जावें। अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना–पत्र के संबंध में प्रत्यर्थीगण द्वारा किसी प्रकार को उज्र जाहिर नहीं किया गया है तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से स्थगन प्रभावी होना स्वीकार किया गया है। आराजीयात जैरबहस के संबंध में पक्षकारान के हित/हक हिस्सा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान से तय किया जाना है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही स्थगित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत दिनांक 20.12.2023 को स्वीकार किया जाता है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णयानुसार पक्षकारान अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही स्थगित हेतु को निर्णित किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही कार्यवाही इसी स्तर पर ड्राप किये जाने का आदेश दिया जाता है। सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) का अभिलेख मय अहकाम की प्रति के लौटाया जावें। तद्नुसार अभिलेखों में अंकन किया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 21.05.2024 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	